न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक
(पीठासीन अधिकारीः अनिता खटीक, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 85/2011
प्रविष्टि सं0:–20.05.2011

वादीगण –

1–लल्लू पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी टोंक रोड़, निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०
2–कैलाश पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी टोंक रोड़, निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०– मृतक

2/1–देवनारायण पुत्र स्व० कैलाश जाति माली निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

2/2–शिवजीलाल पुत्र स्व० कैलाश जाति माली निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

2/3–ओमप्रकाश पुत्र स्व० कैलाश जाति माली निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

2/4–सुनीता पुत्री स्व० कैलाश जाति माली निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

2/5–कैलाशी बेवा स्व० कैलाश जाति माली निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

3–प्रहलाद पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी टोंक रोड़, निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०
4–काल्या उर्फ रमेश पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी टोंक रोड़, निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

बनाम

प्रतिवादीगण

1– हुक्मा पुत्र विरधा जाति माली निवासी टोंक रोड़, निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज० – मृतक

1/1–देवा पुत्र हुक्मा जाति माली निवासी पहाड़ी चूंगी नाका तालाब के रास्ते टोंक कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

1/2–किशन पुत्र हुक्मा जाति माली निवासी कीर कॉलोनी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज० – मृतक

1/2/1–बाल्या उर्फ बालूराम पुत्र स्व० किशन जाति माली निवासी 80 फीट रोड़ भगवानदास स्कुल के पास कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक राज०

1/2/2–केदार पुत्र स्व० किशन जाति माली निवासी कीर कॉलोनी कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक राज०

1/2/3–भागचन्द पुत्र स्व० किशन जाति माली निवासी 80 फीट रोड़ भगवानदास स्कुल के पास कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक राज०

1/2/4–रतिराम पुत्र स्व० किशन जाति माली निवासी 80 फीट रोड़ भगवानदास स्कुल के पास कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक राज०

1/2/5–धापू देवी पत्नी स्व० किशन जाति माली निवासी 80 फीट रोड़ भगवानदास स्कुल के पास कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक राज०

1/2/6–जमना पुत्री स्व० किशन पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी हाल भीखापुरा टोंक तह० व जिला–टोंक राज०

1/2/7–मनफूली उर्फ नन्या पुत्री स्व० किशन पत्नी लालचन्द जाति माली निवासी एफ.सी.आई. गोदाम के पास के इण्डियन बैंक के सामने जयपुर रोड़ निवाई जिला–टोंक

1/2/8–कला पुत्री स्व० किशन जाति माली निवासी लालचन्द जी माली का मकान एफ.सी.आई. गोदाम के पास के इण्डियन बैंक के सामने जयपुर रोड़ निवाई जिला–टोंक

1/3–प्रेमचन्द पुत्र हुक्मा जाति माली निवासी सुमित्रा मोटर्स के पीछे कीर कॉलोनी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

1/4–रतनलाल पुत्र हुक्मा जाति माली निवासी काली का बाग रोड़ कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

1/5–हनुमान पुत्र हुक्मा जाति माली निवासी काली का बाग रोड़, कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

1/6–रूपा पुत्री हुक्मा पत्नी बजरंगलाल जाति माली निवासी निवाई हाल 22 क्वॉटर पुराने आरटीओ ऑफिस के पास, टोंक तहसील व जिला – टोंक राज0

1/7–रूकमणी पुत्री हुक्मा पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी मायला कुण्ड के पास कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज0

1/8–गलोल पुत्री हुक्मा पत्नी गुलाबचन्द जाति माली निवासी पहाड़ी चूंगी नाके के पास वार्ड नं. 19 कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

1/9–बरदी पत्नी हुक्मा जाति माली निवासी काली का बाग रोड, कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

2–मोती पुत्र सूरज्या जाति माली निवासी टोंक रोड, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

3–रामसहाय पुत्र नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

4–छोटूलाल पुत्र नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

5–पप्पू पुत्र नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

6–लाला पुत्र नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

7–गोल्या पुत्र नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

8–शंकर पुत्र नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

9–मीरा पुत्री नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

10–चैना पुत्री नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

11–काली बेवा नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

12–तहसीलदार साहब तहसील निवाई जिला टोंक राज०

13–जगदीश पुत्र दुर्गानारायण जाति माली निवासी भरवा तालाब वार्ड सं. 8 कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

14–ओमप्रकाश पुत्र दुर्गानारायण जाति माली निवासी भरवा तालाब वार्ड सं. 8 कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

15–द्वारका प्रसाद पुत्र दुर्गानारायण जाति माली निवासी भरवा तालाब वार्ड सं. 8 कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

उपस्थित :–श्री रामावतार शर्मा –वादिया की ओर से।
श्री गिरधर सिंह तंवर –प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/9 व 13 ता 15 की ओर से।

वाद उददघोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक–23/6/25

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक वाद बाबत वाद उददघोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है। तथा स्व0 बिरधा जी के जीवित वारिसान व उत्तराधिकारी है, जिनका सजरा निम्न प्रकार है:–

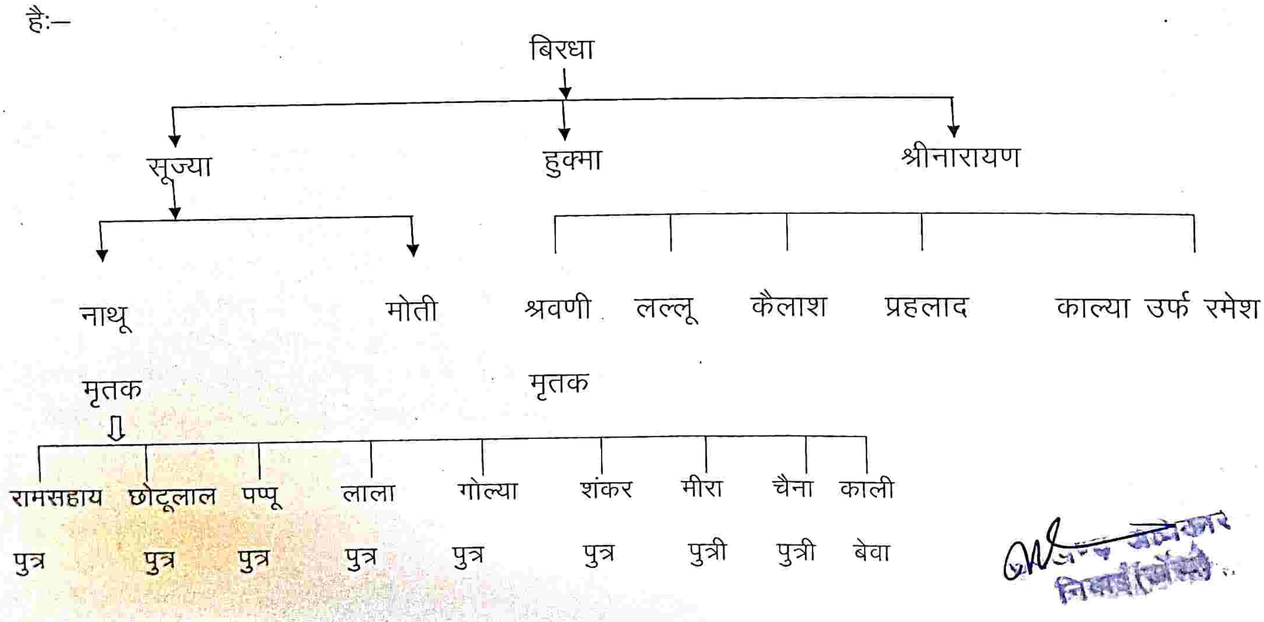

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख0नं0 3636 रकवा 2 बीघा 2 बीस्वा ख0नं0 3637 रकबा 02 बीस्वा ख0नं0 3639 रकवा 01 वीघा 16 वीस्वा ख0नं0 3701 रकबा 09 बीस्वा ख0नं0 3965 रकबा 04 बीस्वा ख0नं0 3966 रकवा 06 वीस्वा ख0नं0 4084 रकवा 12 बीस्वा ख0नं0 4127 रकबा 12 बीस्वा ख0नं0 4899 रकवा 01 वीघा 15 वीस्वा ख0नं0 4579 रकवा 01 बीघा 09 बीस्वा ख0नं0 5113 रकबा 03 बीघा 19 बीस्वा कुल किता 11 रकवा 13 वीघा 06 वीस्वा वाके कस्बा निवाई तहसील निवाई में स्थित है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदारी एवं संयुक्त खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। एवं वर्णित भूमि में वादीगण का 1/3 हक व हिस्सा 1/3 हक व हिस्सा सं. 1 एवं 1/3 हक व हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 11 का निहित है। उपरोक्त वर्णित भूमि में से वादीगण एवं उनके स्व0 माता श्रवणी द्वारा प्रतिवादी सं0 01 को दिनांक 01.03.88 को भूमि ख0नं0 3636 रकबा 02 बीघा 02 बीस्वा ख0नं0 3637 रकबा 02 बीस्वा ख0नं0 3639 रकवा 01 वीघा 16 वीस्वा में उनका 1/3 हक व हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया गया था, किन्तु प्रतिवादी सं0 01 द्वारा दिनांक 01.03.88 को करवाये गये विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण सं0 2164 दिनांक 12.06.89 को राजस्व कर्मचारियों पटवार हल्का द्वारा उक्त विक्रय पत्र के विपरित जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि में शेष ख0नं0 3707, 3965, 3966, 4084, 4127, 4899, 4579, 5113 में वादीगण के 1/3 हक व हिस्से की भूमि का बिना किसी आधार के वादीगण के स्थान पर प्रतिवादी सं0 01 के नाम दर्ज इन्द्राज कर दिया जबकि उक्त विक्रय पत्र द्वारा वादीगण ने मात्र तीन ख0नं0 3636, 3637, 3639 में उनका 1/3 हक व हिस्सा ही बेचान किया गया था शेष ख0नं0 का बेचान नहीं किया गया था पटवारी हल्का द्वारा लापरवाही व त्रुटिपूर्ण तरीके से उक्त शेष ख0नं0 को प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज इन्द्राज कर राजस्व रिकॉर्ड में भरी त्रुटि कारित की है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण को भूमि ख0नं0 3701 रकबा 9 बिस्वा, ख0नं0 3965 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 3966 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 4084 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 4127 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 4899 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 4579 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 5113 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके कस्बा निवाई को वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर उपरोक्त ख0नं0 वादीगण के 1/3 हक व हिस्से में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक व न्याय संगत है। उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी आधार के दौराने नामान्तकरण त्रुटिवश तीन ख0नं0 के अलावा सम्पूर्ण भूमि में वादीगण के 1/3 हक व हिस्से के स्थान पर प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम दर्ज इन्द्राज कर दिया गया जिसका उन्हें कोई वेध अधिकार प्राप्त नहीं था, किन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में बदनियति एवं बेईमानी आ गई है तथा वह अब उक्त राजस्व रिकॉर्ड के त्रुटिपूर्ण अंकन का नाजायज फायदा उठाकर सम्पूर्ण भूमि में वादीगण के वेध हक व अधिकार के 1/3 हक व हिस्से की भूमि का आनन फानन में खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से अन्य व्यक्ति के हक में बेचान कर नाजायज फायदा उठाने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई वेध अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द किया जावे कि आराजी ख0नं0 3701 रकबा 9 बिस्वा, ख0नं0 3965 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 3966 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 4084 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 4127 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 4899 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 4579 रकबा 1 बीघा 9 बीस्वा, ख0नं0 5113 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके कस्बा निवाई तह0 निवाई में वादीगण के 1/3 हक व हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से रहन, बय, बख्शीश, हस्तान्तरण आदि स्वयं नहीं करें तथा भूमि में किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द दखल मजाहमत आदि स्वयं नहीं करें एवं राजस्व रिकॉर्ड आदि में दौराने दावा किसी भी प्रकार का परिवर्तन परिवर्धन स्वयं नहीं करें और ना ही जरिये एजेन्ट, नौकर पारिवारिक व्यक्ति अधिनस्थ कर्मचारी या अन्य किसी से नहीं करावें तथा पाबन्द रहें। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादीगण अपने वेध व वैधानिक हक व अधिकार से वंचित हो जावेंगे जिससे वादीगण तबाह एवं बर्बाद हो जावेगे। जिससे वादीगण को अपूर्तनीय एवं अकथनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगी मौके पर प्रतिवादीगण नाजायज रूप से कब्जा करने की कोशिश करेंगे जिससे मौके पर लड़ाई झगडे विवाद उत्पन्न होंगे जिससे अकारण मुकदमें वाजी बढेगी तथा वादीगण के साथ भयंकर प्रिज्युडिस कारित होगी ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण करें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया कजाना नितान्त आवश्यक एवं न्याय संगत है। वादीगण का वाद वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री फरमावे कि भूमि ख0नं0 3701 रकबा 9 बिस्वा, ख0नं0 3965 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 3966 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 4084 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 4127 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 4899 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 4579 रकबा 1 बीघा 9 बीस्वा, ख0नं0 5113 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके कस्बा निवाई वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर उपरोक्त ख0नं0 वादीगण के 1/3 हक व हिस्से में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

संलग्न दस्तावेज– नकल जमाबंदी सम्वत 2058–61, नकल विक्रय पत्र, नकल जमाबंदी खातोनी 2058–61, नकल जमाबंदी सम्वत 2042–45, नामांतकरण संख्या 2164, नकल जमाबंदी खतोनी 2037–40

इसके पश्चात प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी सं.1 के अधिवक्ता गिरधर सिंह तंवर ने वकालत नामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 11 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा वकालत नामा पेश कर अपना–अपना जवाब दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादी सं.1 फोत होने पर उसके वारीसान की ओर से 1/2 ता 1/9 एवं 13, 14, 15 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजीयात में पूर्व में वादीगण व श्रवणी का हिस्सा 1/3 था जिसे दिनांक 1–3–88 को वादीगण व श्रवणी ने ख.नं. 3636, 3637, 3639 का 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के द्वारा खरीद किया गया था तथा उसी दिन बाकी ख.नं. की भूमि का हिस्सा 1/3 अन रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के द्वारा खरीद की गई भूमि है जो प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त दोनों दस्तावेज हल्का पटवारी को वास्ते नामान्तकरण हेतु दिये थे जिनके आधार पर ही प्रतिवादी सं.1 के नाम उक्त आराजीयात का नामान्तकरण खोला गया था जिस पर प्रतिवादी सं.1 एवं उसके वारिसान 25 वर्षो से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। इस कारण कब्जा मुखालिफाना के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, किन्तु अब जमीनों के भावों में वृद्वि हो जाने की वजह से वादीगण के मन में बेईमानी आ गई है और वह बदल गये है। वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी सं. 2 ता 11 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया दिनांक 1–3–88 को प्रतिवादी सं.1 को ख.नं. 3636, 3637, 3639 का 1/3 हिस्सा है, बेचान किया गया था, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती से अन्य खसरा नम्बरान का नामान्तकरण भी प्रतिवादी स.1 के हक में खोल दिया जो गलत है, अन्य नम्बर 3701, 3965, 3966, 4084, 4127, 4899, 4579, 5113 में वादीगण का 1/3 हक व हिस्सा है। उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं.1 को कभी भी बेचान नहीं किया गया, उक्त हिस्से पर वादीगण काबिज मालिक चले आ रहे है, किन्तु रिकार्ड में भारी त्रुटि हुई है जिसे दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है।

प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त जवाब दावा पेश होने पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई।

1– आया वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में से ख.नं. 3636, 3637, 3639 में 1/3 हिस्सा है प्रतिवादीगण को बेचान किया गया था, अन्य शेष वादग्रस्त भूमि सहवनवश व त्रुटिवश प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के मुश्तहक है।

वादीगण

2–आया वादीगण वाद–पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित भूमि ख.नं. 3636, 3637, 3639 को छोड़कर शेष सम्पूर्ण भूमि में वादीगण 1/3 हक व हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

–वादीगण

3–आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने के अधिकारी है।

–वादीगण

4–आया वाद वादीगण नॉन ज्योईन्डर ऑफ पार्टीज के आधार पर वाद खारिज फरमाये जाने योग्य है।

–प्रतिवादीगण

उपरोक्तानुसार तनकी नं. 1 ता 3 को साबित करने का भार वादीगण पर तथा तनकी नं. 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।, जिसके समर्थन में वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में गवाह पी.डब्लु 1 काल्या उर्फ रमेश, पी.डब्लु. 2 रमेशचन्द सैनी के मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 की प्रदर्श 1 एवं प्रदर्श 2 नकल विक्रय पत्र प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2058–61 की प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2042 से 45 की प्रदर्श 5 एवं नामान्तकरण सं. 2164 प्रदर्श 6 जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2037 से 40 प्रदर्श 7 पेश की गई तथा प्रतिवादीगण की ओर से केवल मात्र मौखिक साक्ष्य डी.डब्लु. 1 देवालाल, डी. डब्लु. 2 किशनलाल, डी.डब्लु. 3 हनुमान माली के बयान लेखबद्व करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य कोई पेश नहीं की गई।

उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

उभय पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध होने के पश्चात उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर वाद–पत्र एवं जवाब दावे के तथ्य मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर तनकी वार निम्न प्रकार निस्तारित की गई।

तनकी नं. 1– उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने उक्त तनकी के समर्थन में वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य में जमावन्दी एवं विक्रय–पत्र दिनांक 1–3–88 प्रदर्श 2 पेश किया गया। उक्त विक्रय–पत्र के अनुसार खं.नं. 3636, 3637, 3639 वाके कस्बा निवाई में श्रवणी बेवा श्रीनारायण, लल्लू, कैलाश, प्रहलाद, काल्या पिता श्रीनारायण जाति माली निवासी निवाई ने 1/3 हिस्सा की जमीन व कोठी प्रतिवादी सं. 1 श्री हुकमचन्द को बेचान किया गया है, जबकि नामान्तकरण सं. 2164 प्रदर्श 6 जो विक्रय–पत्र दिनांक 1–3–88 जिल्द सं. 59 पृष्ठ सं. 347–48 क्रम सं. 86 के आधार पर पंजीबद्व किया गया है उसमें सम्पूर्ण भूमि किता 11 में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के हक में पंजीबद्वं किया गया है जबकि विक्रय–पत्र में केवल मात्र 3636, 3637, 3639 में 1/3 हिस्सा ही प्रतिवादी सं. 1 को बेचान किया गया था जिससे यह सिद्व है कि प्रतिवादी सं. 1 को जिस नामान्तकरण सं. 2146 से बतौर खातेदारी जमाबन्दी में सम्पूर्ण भूमि दर्ज हुई है वह त्रुटिवश व गलत तरीके से अंकित हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि ख.नं. 3701, 3965, 3966, 4084, 4127, 4899, 4579, 5113 में वादीगण के 1/3 हिस्से को क्रय करने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, इस कारण उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम खं.नं. 3636, 3637, 3639 के अलावा अन्य भूमि गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसे वीदगण दुरूस्त व सही करवाने के मुश्तहक है। इस प्रकार वादीगण द्वारा अपने पक्ष में तनकी नं. 1 को साबित करने में सफल हुये है। इस कारण उक्त तनकी सं. 1 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी सं. 2– उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। भूमि चूंकि प्रकरण में कायम की गई तनकी सं. 1 वादीगण के पक्ष में साबित हुई है। वादीगण द्वारा भूमि खं.नं. 3636, 3637, 3639 में 1/3 हिस्सा ही प्रतिवादी सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 1–3–1988 के आधार पर बेचान की गई थी शेष भूमि खं.नं. 3701, 3965, 3966, 4084, 4127, 4899, 4579, 5113 में वादीगण का 1/3 हिस्सा किसी भी दस्तावेज से या अन्य तरीके से बेचान होने के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई सबूत साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है जिससे उक्त भूमि वादीगण द्वारा बेचान नहीं किया जाना साबित व प्रमाणित है तनकी सं. 1 वादीगण के पक्ष में साबित हुई है, जिसमें रिकार्ड में सहवन व त्रुटिवश उक्त इन्द्राज होना साबित है। पत्रावली में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य से वादीगण खं.नं. 3636, 3637, 3639 को छोड़कर शेष सम्पूर्ण भूमि में वादीगण 1/3 हक व हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के मुश्तहक है, इस कारण वादीगण द्वारा तनकी सं. 2 को सिद्व करने में भी सफल रहे है, इस कारण तनकी सं. 2 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी सं. 3– उक्त तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। जिन्होने उक्त तनकी के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 जमाबन्दी प्रदर्श 2 बेचान एवं प्रदर्श 6 नामान्तकरण के अवलोकन मात्र से वादग्रस्त भूमि ख.नं. 3701, 3965, 3966, 4084, 4127, 4899, 4579, 5113 वादीगण के हक व हिस्से की भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध एवं वास्ता किसी भी प्रकार का नहीं है। प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि में किसी भी रूप की दखल, मजाहमत, करने के विधिक अधिकारी नहीं है। प्रकरण में तनकी सं. 1व 2 के द्वारा उपरोक्त भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार प्रमाणित होने से प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने के वादीगण विधिक अधिकारी है। उक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं. 4– उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वाद–पत्र में भूमि से सम्बन्धित सभी आवश्यक एवं हितबद्व व्यक्तियों को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। वादीगण द्वारा वाद–पत्र में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम गलत इन्द्राज होने से वाद इस्तकरार हक से सम्बन्धित पेश किया गया है। तथा प्रतिवादी नं.1 एवं उसके समस्त विधिक वारिसान प्रकरण

में पक्षकार है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस एवं जवाब में ऐसा कोई तथ्य साक्ष्य सबूत आदि पेश नहीं किया है जिससे उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से तनकी सं. 1, 2, 3 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व एवं तनकी सं. 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व एवं वादीगण के पक्ष में तय होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

फलतः वाद उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण ख.नं. 3701 रकबा 9 बिस्वा, ख.नं. 3965 रकबा 4 बिस्वा, ख.नं. 3966 रकबा 6 बिस्वा, ख.नं. 4084 रकबा 12 बिस्वा, ख.नं. 4127 रकबा 12 बिस्वा, ख.नं. 4899 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 4579 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 5113 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, वाके कस्बा निवाई में वादीगण को 1/3 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के उपरोक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखल, बाधा, मजाहमत नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/6/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिता खटीक)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

राजस्व वाद संख्या :– 85/2011
प्रविष्टि सं0:–20.05.2011

वादीगण –

1–लल्लू पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी टोंक रोड़, निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०
2–कैलाश पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी टोंक रोड़, निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०–मृतक

2/1–देवनारायण पुत्र स्व० कैलाश जाति माली निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

2/2–शिवजीलाल पुत्र स्व० कैलाश जाति माली निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

2/3–ओमप्रकाश पुत्र स्व० कैलाश जाति माली निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

2/4–सुनीता पुत्री स्व० कैलाश जाति माली निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

2/5–कैलाशी बेवा स्व० कैलाश जाति माली निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

3–प्रहलाद पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी टोंक रोड़, निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०
4–काल्या उर्फ रमेश पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी टोंक रोड़, निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

बनाम

प्रतिवादीगण

1– हुकमा पुत्र विरधा जाति माली निवासी टोंक रोड़, निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज० – मृतक

1/1–देवा पुत्र हुकमा जाति माली निवासी पहाड़ी चूंगी नाका तालाब के रास्ते टोंक कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

1/2–किशन पुत्र हुकमा जाति माली निवासी कीर कॉलोनी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज० – मृतक

1/2/1–बाल्या उर्फ बालूराम पुत्र स्व० किशन जाति माली निवासी 80 फीट रोड़ भगवानदास स्कुल के पास कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक राज०

1/2/2–केदार पुत्र स्व० किशन जाति माली निवासी कीर कॉलोनी कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक राज०

1/2/3–भागचन्द पुत्र स्व० किशन जाति माली निवासी 80 फीट रोड़ भगवानदास स्कुल के पास कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक राज०

1/2/4–रतिराम पुत्र स्व० किशन जाति माली निवासी 80 फीट रोड़ भगवानदास स्कुल के पास कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक राज०

1/2/5–धापू देवी पत्नी स्व० किशन जाति माली निवासी 80 फीट रोड़ भगवानदास स्कुल के पास कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक राज०

1/2/6–जगना पुत्री स्व० किशन पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी हाल भीखापुरा टोंक तह० व जिला–टोंक राज०

1/2/7–मनफूली उर्फ नन्या पुत्री स्व० किशन पत्नी लालचन्द जाति माली निवासी एफ.सी.आई. गोदाम के पास के इण्डियन बैंक के सामने जयपुर रोड़ निवाई जिला–टोंक

1/2/8–कला पुत्री स्व० किशन जाति माली निवासी लालचन्द जी माली का मकान एफ.सी.आई. गोदाम के पास के इण्डियन बैंक के सामने जयपुर रोड़ निवाई जिला–टोंक

1/3–प्रेमचन्द पुत्र हुकमा जाति माली निवासी सुमित्रा मोटर्स के पीछे कीर कॉलोनी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

1/4–रतनलाल पुत्र हुकमा जाति माली निवासी काली का बाग रोड़ कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

1/5–हनुमान पुत्र हुकमा जाति माली निवासी काली का बाग रोड़, कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

1/6–रूपा पुत्री हुकमा पत्नी बजरंगलाल जाति माली निवासी निवाई हाल 22 क्वॉटर पुराने

आरटीओ ऑफिस के पास, टोंक तहसील व जिला – टोंक राज0

1/7–रूकमणी पुत्री हुक्मा पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी गायला कुण्ड के पास कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज0

1/8–गलोल पुत्री हुक्मा पत्नी गुलाबचन्द जाति माली निवासी पहाडी चूंगी नाके के पास वार्ड नं. 19 कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

1/9–बरदी पत्नी हुक्मा जाति माली निवासी काली का बाग रोड़, कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

2–मोती पुत्र सूरज्या जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

3–रामसहाय पुत्र नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

4–छोटूलाल पुत्र नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

5–पप्पू पुत्र नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

6–लाला पुत्र नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

7–गोल्या पुत्र नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

8–[illegible]ंकर पुत्र नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

9–[illegible]ारा पुत्री नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

10–चैना पुत्री नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

11–काली बेवा नाथू जाति माली निवासी टोंक रोड़, वार्ड सं. 9 निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

12–तहसीलदार साहब तहसील निवाई जिला टोंक राज०

13–जगदीश पुत्र दुर्गानारायण जाति माली निवासी भरवा तालाब वार्ड सं. 8 कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

14–ओमप्रकाश पुत्र दुर्गानारायण जाति माली निवासी भरवा तालाब वार्ड सं. 8 कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

15–द्वारका प्रसाद पुत्र दुर्गानारायण जाति माली निवासी भरवा तालाब वार्ड सं. 8 कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक राज०

उपस्थित :–श्री रामावतार शर्मा –वादिया की ओर से।
श्री गिरधर सिंह तंवर –प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/9 व 13 ता 15 की ओर से।

वाद उदद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदद्मा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, निवाई व हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद, वादीगण उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण ख0नं0 3701 रकबा 9 बिस्वा, ख0नं0 3965 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 3966 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 4084 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 4127 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 4899 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 4579 रकबा 1 बीघा 9 बीस्वा, ख0नं0 5113 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके कस्बा निवाई में 1/3 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के उपरोक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखल, बाधा, मजाहमत, नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार, राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23/6/25 को जारी किया गया।

(अनीता खटीक)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	शून्य	शून्य	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	शून्य	शून्य
मीज़ान			मीज़ान		

(अनिता खटीक)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक